संख्या-99/2016/1344/41-2016-69 यो0/**16**

प्रेषक,

शिव कुमार पाठक
उप सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक
पर्यटन उ0प्र0
लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग लखनऊ दिनांक 19 अगस्त, 2016

विषय- जनपद मथुरा में स्थित मेला स्थलों पर जन सुविधा केन्द्र निर्माण की योजना हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय के पत्र सं0-615/6-1-1(785)/2016, दिनांक 29-07-2016 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव/आगणन के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2016-17 में राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद मथुरा में स्थित मेला स्थलों पर जन सुविधा केन्द्र निर्माण की योजनाओं हेतु कार्यदायी संस्था सुलभ इन्टरनेशनल सोशल सर्विस आर्गनाइजेशन लखनऊ द्वारा गठित आगणन के परीक्षणोपरान्त कालम 02 में अंकित योजनाओं के लिए कालम 03 में अंकित कार्यदायी संस्था नामित करते हुए कालम 04 एवं 05 में उल्लिखित विवरणानुसार प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0	**योजना का नाम**	**कार्यदायी संस्था**	**प्रशासकीय स्वीकृति**	**वित्तीय स्वीकृति**
-1-	**-2-**	**-3-**	**-4-**	**-5-**
1	जनपद मथुरा में स्थित शनिदेव मन्दिर, कोकिला वन में सुलभ प्रसाधन/यात्री छादक के निर्माण की योजना।	सुलभ इन्टरनेशनल सोशल सर्विस आर्गनाइजेशन	72.51	36.255
2	जनपद मथुरा में स्थित नीर सेमरी देवी सेमरी मेला स्थल पर सुलभ प्रसाधन/यात्री छादक के निर्माण की योजना।	सुलभ इन्टरनेशनल सोशल सर्विस आर्गनाइजेशन	72.51	36.255

1. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।
2. स्वीकृत धनराशि का व्यय किसी अन्य प्रयोजन हेतु कदापि नहीं किया जायेगा एवं उक्त कार्यों को अनुमोदित लागत के सीमान्तर्गत ही किया जायेगा।
3. कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति की सूचना व उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को_ससमय उपलब्ध कराया जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

4. यदि कोई धनराशि बचती है तो उसे तत्काल शासन को समर्पित/राजकोष में जमा कराने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
5. यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उपरोक्तांकित स्वीकृत योजनान्तर्गत कार्यों हेतु किसी अन्य स्रोतों से धनराशि प्राप्त न की गयी हो।
6. योजनान्तर्गत कराये गये कार्यों की फोटोग्राफी कराकर तत्काल उपलब्ध करायी जाये जिससे प्रगति के संबंध में स्थिति स्पष्ट हो सके।

2- उक्त के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-44 के लेखा शीर्षक-5452-पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-80-सामान्य-104-संवर्धन तथा प्रचार-14-ऐतिहासिक एवं पौराणिक स्थलों पर अवस्थापना सुविधाओं का विकास-24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप सं0 1/2016 बी0-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22 मार्च, 2016 में प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित वित्तीय अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

(शिव कुमार पाठक)
उप सचिव।

<u>संख्या-99/2016/1344 (1)/41-2016 तद् दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार इलाहाबाद।
2- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3- निजी सचिव, मा0 पर्यटन मंत्री, उ0प्र0 लखनऊ।
4- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
5- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-7।
6- उप निदेशक पर्यटन, आगरा।
7- मानद नियंत्रक, सुलभ इन्टरनेशनल सोशल सर्विस आर्गनाइजेशन, लखनऊ ।
8- श्री राजा राम वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इसे वेब-साइट पर अंकित करना सुनिश्चित करें।
9- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(विनय कुमार सिंह)
अनु सचिव।

http://srisamadesh.up.nic.in